प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सू.रि.स 13 दिनांक 22.06.2016

2.अधिनियम पी0सी0 एक्ट 49/1988 धाराएं 7 पी0सी0 एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं –

(क) घटना का दिन बुधवार दिनांक से दिनांक 22.06.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 22.06.2016 समय 02:20 पी.एम.

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 8 समय 02:30 पी.एम.

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया स्पैशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एंव दूरी) जानिब पूर्व–दक्षिण, लगभग 90 कि0मी0

(ख) पता : कार्यालय बिजली बोर्ड फिरोजपुर झिरका

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम)– फिरोजपुर झिरका मेवात।

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) नाम : इरफान (ख) (पिता/पति का नाम) श्री कमरूद्दीन

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) खेती–बाडी (पता) रीगढ थाना फिरोजपुर झिरका जिला नूंह(मेवात)

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. रामप्रसाद सैनी
   बिजली विभाग फिरोजपुर झिरका,
   जिला–मेवात।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी निरीक्षक कुलवन्त सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव बदस्त EHC रंगराज न0 88/GGN बराये कायमी मुकदमा थाना हजा मे प्राप्त हुई। जिसका विषय इस प्रकार से है, ''सेवा मे श्रीमान इंस्पैक्टर विजिलैन्स महोदय, मेवात(नूंह) श्रीमान जी मै इरफान पुत्र कमरूद्दीन निवासी रीगढ थाना फिरोजपुर झिरका मेवात(नूंह) का रहने वाला हुं। मै खेती बाडी का काम करता हुं। मेरे गांव मे मेरे पिताजी ने खेतो पर ट्युवैल कनैक्शन लगवा रखा है। जिसका ट्यूबवैल कनैक्शन नम्बर G44B1510152-A है। जो दो महीने पहले करीब जल गया था। मै अपने जले हुए ट्रान्सफार्मर को बदलवाने के लिए बिजली विभाग फिरोजपुर मे एक शिकायत दी थी। फिर मै अपने

ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए J.E. रामप्रसाद सैनी से मिला जिसने मुझे कहा कि रिश्वत मे मुझे 10 हजार रुपये दोगे तो मै तुम्हारा दूसरा ट्रांसफार्मर बदलवादूगां, मेरी काफी मिन्नत करने के बावजूद रामप्रसाद सैनी जे0ई0 से 5 हजार रुपये की बात तय हो गई थी और उसने आज मुझे 5 हजार रुपये लेकर आने को कहा है। मै जे0ई0 रामप्रसाद सैनी को रिश्वत नही देना चाहता, रिश्वत दिये बगैर जे0ई0 रामप्रसाद सैनी मेरा काम नही करेगा। मेरा जे0ई0 रामप्रसाद सैनी से कोई लेना देना नही है और नाहि कोई दुश्मनी है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि जे0ई0 रामप्रसाद सैनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावे। आपकी अति कृप्या होगी। धन्यवाद सहित प्रार्थी इरफान हस्ता हिन्दी इरफान पुत्र कमरूद्दीन निवासी रीगढ थाना फिरोजपुर झिरका जिला नूंह (मेवात) फोन न0 9813872025 कार्यवाही पुलिस– आज मन निरीक्षक मय SI सत्यप्रकाश 131/ GGN, मय रामानन्द SI न0 1/41, प्रकाशचन्द SI न0 258/ H, EHC रंगराज न0 88/GGN, मय गाडी सरकारी न0 HR-68-8353 चालक EHC जोगिन्द्र न0 2361/FBD के बराये कार सरकार SVB युनिट मेवात कार्यालय हाजिर हुँ कि श्री इरफान S/o श्री कमरूद्दीन जाति मेव R/o रीगढ PS फिरोजपुर झिरका ने हाजिर कार्यालय आकर एक दरखास्त लिखित पेश की। जो उपरोक्त दरखास्त के मजबून से सरेदस्त जुर्म 7 P.C. ACT का सरजद होना पाया जाता है। मन निरीक्षक ने एक रैडिंग पार्टी तैयार की तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा EHC रंगराज 88/GGN अरसाल थाना है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित किया जावे। स्पैशल रिपोर्ट अफसरान बाला व ईलाका मजिस्ट्रेट भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय उपरोक्त मुलाजमान मय मुदई मय तफतीशी बैंग के उपायुक्त कार्यालय नूंह का रवाना होता हुँ। हस्ता– अग्रेजी कुलवन्त सिंह निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव दिनांक 22.06.16 at 11:50 ए0एम0 अज– SVB कार्यालय मेवात (नूंह) अज थाना– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रथम सुचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई, जो सेवा में अफसरानबाला व ईलाका मजिस्ट्रेट साहब नूंह मेवात भेजी जाएगी। एक पर्त FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मजिस्ट्रेट साहब नूंह मेवात बदस्त आरिन्दा EHC रंगराज न0 88/GGN भेजी जा रही है। असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुँचाने हेतु इसी आरिन्दा EHC के हवाले की गई।

Attested

हस्ता अग्रेजी/– सत्यप्रकाश
थाना प्रभारी का नाम
नाम : सत्यप्रकाश
पद : निरीक्षक
सख्यां : RR 202

POLICE STATION S.V.B. (H)
थाना राज्य चौकसी ब्यूरो (ह)
गुड़गांव मण्डल गुड़गांव
Gurgaon Range Gurgaon